अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 संख्या 203 श्री विजय पुरम, गुरूवार, 30 जुलाई 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह फिल्म नीति–2026 तथा श्री विजय पुरम स्थित राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास की समीक्षा की। माननीय उप राज्यपाल ने इस बात पर बल दिया कि फिल्म नीति को द्वीपसमूह को फिल्म शूटिंग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने की परिकल्पना के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। साथ ही, फिल्म निर्माताओं के लिए सहयोगात्मक इकोसिस्टम विकसित करते हुए, हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित कर, फिल्मांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा फिल्मों के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की प्रभावी ब्रांडिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर का भव्य रूप से पुनर्विकास किया जाए तथा स्मारकों को समुचित महत्व प्रदान किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव सहित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पीएचएच एवं एएवाई राशन कार्डधारी परिवारों से 15 अगस्त से पूर्व आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील

श्री विजय पुरम, 29 जुलाई

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) का शुभारंभ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 23 सितंबर, 2018 को किया गया था। यह योजना सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पताल उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच को निरंतर सुदृढ़ कर रही है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सभी प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) एवं अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्डधारी परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

सभी पात्र पीएचएच एवं एएवाई लाभार्थियों, जिन्होंने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, से अनुरोध किया गया है कि वे 15 अगस्त, 2026 या उससे पूर्व अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो सके। पात्र लाभार्थी निम्नलिखित माध्यमों से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं–

आयुष्मान ऐप (**Google Play Store** पर उपलब्ध), निकटतम सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र, एबी–पीएमजेएवाई सहायता काउंटर, जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने की विस्तृत प्रक्रिया जानने के लिए लाभार्थी ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर चरणबद्ध वीडियो मार्गदर्शिका देख सकते हैं, जिसमें कार्ड बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया समझाई गई है। किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी के लिए 03192–214763 अथवा 91–9933262784 पर संपर्क किया जा सकता है।

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने मथुरा ग्राम में नए अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की

श्री विजय पुरम, 29 जुलाई

सरकारी भूमि की सुरक्षा तथा कानून के नियम को बनाए रखने की अपनी सतत प्रतिबद्धता के तहत दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने फरारगंज तहसील के अंतर्गत मथुरा ग्राम में किए गए नए अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई की है।

हाल ही में राजस्व अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों, पुलिस प्रशासन तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सक्रिय सहयोग से किए गए निरीक्षण के दौरान मथुरा ग्राम में लगभग 40,000 वर्गमीटर चरागाह भूमि तथा 10,000 वर्गमीटर खेल मैदान हेतु आरक्षित सरकारी भूमि पर नए अतिक्रमण का पता चला। अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से रेलिंग लगाकर तथा पौधारोपण कर सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया गया था।

इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारियों ने बेदखली अभियान चलाकर सभी अवैध अतिक्रमणों को सफलतापूर्वक हटा दिया तथा सरकारी भूमि को उसके मूल स्वरूप में पुनः बहाल कर दिया। यह कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत ढंग से संपन्न की गई, जो सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्ज़े से सुरक्षित रखने तथा उसे उसके निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के लिए संरक्षित रखने के प्रति ज़िला प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ज़िला प्रशासन ने एक बार पुनः सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता नीति को दोहराया है। प्रशासन ने ऐसे सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को कड़ी चेतावनी दी है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने अथवा ऐसे अवैध कार्यों को बढ़ावा देने में संलिप्त हैं कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा कानूनी प्रक्रिया से बचने अथवा उसे दरकिनार करने का कोई भी प्रयास गंभीर परिणामों को आमंत्रित करेगा।

आम जनता से अपील की गई है कि वे भूमि उपयोग एवं स्वामित्व से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। नागरिकों को सतर्क रहने तथा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा अवैध कब्ज़े की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराकर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऐसी सूचना ज़िला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 03192–240127, 238881, 1070 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर दी जा सकती है। दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त प्रत्येक सत्य एवं विश्वसनीय सूचना पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

सिविल इंजीनियरों के लिए रोज़गार का अवसर–अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के स्थानीय अभ्यर्थियों को दी जाएगी प्राथमिकता : माननीय सांसद

श्री विजय पुरम, 29 जुलाई

आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के प्रबंध निदेशक के साथ आयोजित बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं, विशेषकर उत्तर व मध्य अण्डमान क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष हिस्सों का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए नए ठेकेदारों की नियुक्ति तथा अतिरिक्त अभियंताओं की तैनाती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि चल रहे कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए शीघ्र ही एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने यह भी अवगत कराया कि एनएचआईडीसीएल देशभर में संचालित अपनी विभिन्न परियोजनाओं, जिनमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए सिविल इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है। भर्ती संबंधी विज्ञापन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्थित एनएचआईडीसीएल इकाई में नियुक्ति के लिए पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 70,000 से 80,000 रुपये प्रतिमाह का पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह भी बताया गया कि अब तक अण्डमान

शेष पृष्ठ 4 पर

कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा 'सोमनाथ संवाद 2026' का आयोजन

दृढ़ता, आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक गौरव के भव्य उत्सव ने अवसर को बनाया अविस्मरणीय

श्री विजय पुरम, 29 जुलाई

कला एवं संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–2026 के अंतर्गत 27 से 29 जुलाई तक आयोजित तीन दिवसीय सोमनाथ संवाद का सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस कार्यक्रम ने आध्यात्मिकता, संस्कृति तथा युवाओं की सृजनात्मक प्रतिभा का ऐसा जीवंत संगम प्रस्तुत किया, जिसने सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित जनों पर अमिट छाप छोड़ी।

चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानन्द जी ने अपने प्रेरणादायी प्रवचन में भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सामुदायिक सेवा के मूल्यों के साथ अत्यंत सुंदर ढंग से जोड़ा। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के चिरस्थायी महत्व की व्याख्या की तथा इसे दृढ़ता एवं आध्यात्मिक निरंतरता के ऐसे कालातीत प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी लोगों को प्रेरित करता आ रहा है।

इस अवसर पर निदेशक (कला एवं संस्कृति) श्रीमती प्रियंका कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि दृढ़ता एवं आध्यात्मिक समरसता का जीवंत

प्रतीक है, जो विश्वभर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इससे पूर्व सहायक निदेशक (कला एवं संस्कृति) ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया।

सोमनाथ संवाद के अंतर्गत "सोमनाथ" विषय पर आधारित पाँच

शेष पृष्ठ 4 पर

'नशा मुक्त भारत अभियान' : मादक पदार्थ रोधी जन–जागरूकता अभियान हुआ तेज

श्री विजय पुरम, 29 जुलाई

सामुदायिक पुलिसिंग पहल तथा "नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत' अभियान के अंतर्गत दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने पूरे ज़िले में मादक पदार्थ रोधी जागरूकता गतिविधियों को और अधिक तेज कर दिया है। इसके माध्यम से स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया गया है। निरंतर जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ज़िला पुलिस विद्यार्थियों, युवाओं, दुकानदारों, पर्यटकों, वाहन चालकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा आम जनता को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों तथा मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक सहभागिता के महत्व के बारे में जागरूक कर रही है।

अभियान के दौरान पुलिस थाना अबर्डीन द्वारा जंगलीघाट, रत्नम मार्केट, मरीन जेटी तथा मरीना पार्क में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना हटबे के आर.के. पुर चौकी द्वारा आर.के. पुर सब्ज़ी बाज़ार एवं वी.के. पुर बाज़ार में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना बम्बूफ्लाट द्वारा मनारघाट, सुनामी पहाड़, होप टाउन, शोर प्वाइंट, नॉर्थ बे तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माइल तिलक में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना हम्फ्रीगंज द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मंगलूटान, मंगलूटान खेल मैदान तथा गुप्तापाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना ओग्राब्राज द्वारा छोलदारी मार्केट एवं फरारगंज मार्केट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना शहीद द्वीप द्वारा नील केंद्र मार्केट, भरतपुर बीच पार्किंग क्षेत्र, सीतापुर पार्किंग क्षेत्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नील केंद्र तथा पुलिस थाना शहीद द्वीप परिसर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं, पुलिस थाना स्वराज द्वीप द्वारा गोविंद नगर संख्या–2, गोविंद नगर संख्या–3, विजय नगर संख्या–5, काला पत्थर ग्राम तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, काला पत्थर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को नशामुक्त जीवनशैली अपनाने, सतर्क रहने तथा मादक पदार्थों की तस्करी अथवा दुरुपयोग से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल पुलिस के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया गया।

दक्षिण अण्डमान पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अभियान का एक प्रमुख आकर्षण पुलिस एंटरटेनमेंट टीम (पीईटी) की सक्रिय भागीदारी रही। टीम द्वारा शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। प्रभावशाली कहानी–वाचन एवं संवादात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से टीम ने नशे की लत के खतरों, साथियों के दबाव का विरोध करने, सोच–समझकर निर्णय लेने के महत्व तथा नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने में समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी का प्रभावी संदेश दिया।

दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस निरंतर जन–जागरूकता, रोकथाम तथा जनसहभागिता के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से अपील की गई है कि मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी मानस हेल्पलाइन 1933, पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन 112 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9531856080 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। आइए, जागरूकता, सतर्कता एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त दक्षिण अण्डमान के निर्माण में अपना योगदान दें।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस

फर्जी शेयर बाज़ार निवेश वेबसाइट/ऐप्स के संबंध में जन परामर्श

वर्तमान में फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रायोजित विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के डीपफेक वीडियो एवं चित्र प्रसारित किए जा रहे हैं। ये विज्ञापन उपयोगकर्ताओं को साइबर ठगों द्वारा संचालित फर्जी व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम समूहों में भेजते हैं, जिन्हें वैध ट्रेडिंग समूह, निवेश परामर्श मंच अथवा वित्तीय सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इन समूहों में साइबर ठग शेयर बाज़ार, शेयर संबंधी सुझाव, लाइव कक्षाओं आदि से संबंधित जानकारी साझा करते हैं तथा नागरिकों को सुनिश्चित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आवंटन के माध्यम से अधिकतम लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके साथ संस्थागत खाते खोलने के लिए प्रलोभन देते हैं। साइबर अपराधी

शेष पृष्ठ 4 पर

कार निकोबार के विभिन्न विद्यालयों में आवारा कुत्तों से बचाव पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित

कार निकोबार, 29 जुलाई

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा कार निकोबार द्वीप के विभिन्न विद्यालयों में आवारा कुत्तों, कुत्ते के काटने से बचाव तथा सुरक्षा उपायों पर आधारित जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लपाती में आयोजित किए गए, जिसमें 373 विद्यार्थियों एवं 33 शिक्षकों ने भाग लिया। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मूस में 434 विद्यार्थियों एवं 21 शिक्षकों ने सहभागिता की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तमालू में 147 विद्यार्थियों एवं 17 शिक्षकों ने भाग लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मलाका में 525 विद्यार्थियों एवं 32 शिक्षकों ने सहभागिता की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ककाना में 117 विद्यार्थियों एवं 17 शिक्षकों ने भाग लिया, जबकि प्राथमिक विद्यालय मुख्यालय में 224 विद्यार्थियों एवं 11 शिक्षकों की उपस्थिति रही। कुल मिलाकर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने इन जागरूकता सत्रों का लाभ उठाया।

जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को कुत्तों के व्यवहार को समझने, उनके चेतावनी संकेतों की पहचान करने, आवारा कुत्तों का सामना करते समय अपनाई जाने वाली सुरक्षित सावधानियों, कुत्ते के काटने के तुरंत बाद अपनाए जाने वाले प्राथमिक उपचार, जिसमें घाव को साबुन एवं बहते पानी से अच्छी तरह धोना शामिल है, तथा समय पर चिकित्सकीय उपचार एवं एंटी–रेबीज टीकाकरण कराने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, पशुओं के प्रति ज़िम्मेदार व्यवहार अपनाने तथा आवारा कुत्तों के प्रभावी प्रबंधन में समुदाय की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया।

ये सत्र संवादात्मक रहे और प्रतिभागियों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेकर तथा अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर गहरी रुचि दिखाई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयी बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही जागरूकता विकसित करना, उनमें सुरक्षित व्यवहार की आदतों का विकास करना तथा अपने–अपने क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना था।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग द्वीपसमूह के विद्यालयों एवं समुदायों में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जनस्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके, पशुओं के प्रति ज़िम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके तथा कुत्तों के काटने एवं रेबीज़ की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

रंगत व कदमतला में सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर 31 जुलाई से

रंगत, 29 जुलाई

समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत खंड परियोजना कार्यालय (बीपीओ), रंगत द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान, व्यापक मूल्यांकन, दिव्यांगता प्रमाणन तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं सहायता सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है।

शिविर का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा–

- 31 जुलाई, 2026–अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, रंगत।
- 1 अगस्त, 2026–राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कदमतला।

मूल्यांकन बहु–विषयक दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, पुनर्वास विशेषज्ञ, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन विशेषज्ञ तथा अलिम्को के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पात्र बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, यूडीआईडी कार्ड पंजीकरण तथा निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अभिभावकों एवं संरक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे मूल्यांकन के दौरान बच्चे की शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ लाने की सलाह दी गई है–

1. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (यदि उपलब्ध हो) अथवा पंजीकरण संबंधी विवरण।
2. यूडीआईडी कार्ड अथवा यूडीआईडी पंजीकरण रसीद।
3. बच्चे का आधार कार्ड (अनिवार्य)।
4. पिछले दो माह के भीतर जारी आय प्रमाण–पत्र (मासिक आय 22,500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
5. पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ।
6. राशन कार्ड/बीपीएल कार्ड (जहां निरामया योजना के लिए लागू हो)।

यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक, चिकित्सीय एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उन्हें सहायक उपकरण, समावेशी शिक्षा सहायता एवं विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बच्चों के लिए समय पर हस्तक्षेप एवं उपयुक्त शैक्षिक योजना सुनिश्चित करें।

खंड परियोजना कार्यालय, रंगत ने सभी पात्र अभिभावकों, संरक्षकों, विद्यालय प्रधानों, शिक्षकों तथा समुदाय के सदस्यों से समग्र शिक्षा के इस महत्वपूर्ण प्रयास को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की है, ताकि प्रत्येक बच्चे को समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके।

बम्बूफ्लाट स्कूल में लगा सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर

श्री विजय पुरम, 29 जुलाई

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए एक पहचान एवं मूल्यांकन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन 29 जुलाई, 2026 को दक्षिण अण्डमान के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस), बम्बूफ्लाट के सीडब्ल्यूएसएन संसाधन कक्ष में विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती ज्योति की उपस्थिति में किया गया। चिकित्सा शिविर का संचालन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), बम्बूफ्लाट की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नज़ीरा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया।

शिविर के दौरान चिकित्सा दल ने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान की, पूर्व में चिन्हित बच्चों की प्रगति की समीक्षा की तथा विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को मौखिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

चिकित्सा शिविर में कुल 26 विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुए और शिविर का लाभ प्राप्त किया। यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम का समापन पीएसआरटी श्रीमती जीविथा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

रंगत पुलिस ने लगभग 1.9 किलोग्राम गांजा किया ज़ब्त, एक महिला गिरफ्तार

मायाबंदर, 29 जुलाई

मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना रंगत की एक विशेष टीम ने 29 जुलाई, 2026 को सबरी जंक्शन में सुनियोजित अभियान चलाकर लगभग 1.9 किलोग्राम संदिग्ध गांजा ज़ब्त किया तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत एक महिला को गिरफ्तार किया।

प्राप्त विशेष सूचना के अनुसार, आरोपी कोलकाता से स्थानीय मादक पदार्थ तस्करों को गांजा की आपूर्ति करने के उद्देश्य से आई थी। इस सूचना पर पुलिस थाना रंगत के प्रभारी उप निरीक्षक श्री अब्दुल शाकिल के नेतृत्व में पुलिस दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले की निवासी आरोपी महिला को सबरी जंक्शन पर रोक लिया। उसके कब्ज़े से संदिग्ध गांजा बरामद होने पर उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

यह अभियान उप पुलिस अधीक्षक, रंगत श्री महेंद्र सिंह चारण, दानिप्स, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण तथा उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस अधीक्षक श्री विकास स्वामी, आईपीएस, के समग्र पर्यवेक्षण में संचालित किया गया। उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्राप्त विज्ञप्ति में पुलिस ने आम नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस थाना अथवा 100 एवं 112 हेल्पलाइन नंबरों पर दें। सूचना देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयोगी एवं कार्रवाई योग्य सूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

डिगलीपुर में सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर आयोजित

डिगलीपुर, 29 जुलाई।

डॉ. सी. पुष्पावल्ली, खंड परियोजना अधिकारी (बीपीओ), डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान के मार्गदर्शन में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीओ डिगलीपुर द्वारा 27 एवं 28 जुलाई, 2026 को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए दो दिवसीय पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

शिविर का प्रथम चरण 27 जुलाई को पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सीतानगर में आयोजित किया गया, जिसमें सीआरसी सीतानगर एवं सीआरसी कालीघाट को शामिल किया गया। इस चरण में विशेष आवश्यकता वाले 52 बच्चों तथा संदिग्ध बच्चों की व्यापक जांच एवं मूल्यांकन किया गया, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

शिविर का समापन सत्र 28 जुलाई को डिगलीपुर के बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें सीआरसी डिगलीपुर, सीआरसी केरलापुरम एवं सीआरसी स्वराजग्राम को शामिल किया गया। इस दौरान विशेष आवश्यकता वाले 43 बच्चों तथा संदिग्ध विद्यार्थियों का 120 प्रतिभागियों की उपस्थिति में मूल्यांकन किया गया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कुल 95 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का उप–ज़िला अस्पताल, डिगलीपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों, अलिम्को के विशेषज्ञों, श्री विजय पुरम से आए पुनर्वास विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों तथा व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए बीपीओ रंगत से प्रतिनियुक्त बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन) द्वारा बहुविषयक मूल्यांकन किया गया। इसके अतिरिक्त, श्रवण बाधित बच्चों के लिए बीपीओ डिगलीपुर के सांकेतिक भाषा प्रशिक्षक ने भी शिविर में भाग लेकर प्रभावी संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित किया।

मूल्यांकन के दौरान सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, दृष्टि एवं श्रवण जांच, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक एवं कार्यात्मक मूल्यांकन के साथ–साथ पुनर्वास सेवाओं, सहायक उपकरणों, उपचार पद्धतियों तथा समावेशी शैक्षिक सहयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पूर्व शैक्षणिक वर्ष में आयोजित पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में चिन्हित पात्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए, जिससे उन्हें निरंतर सहयोग एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

दो दिवसीय कार्यक्रम में कुल 270 विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय प्राधिकारियों एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया। शिविर का सफल समन्वय बीपीओ डिगलीपुर की बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन) सुश्री राखी कबीराज द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल समापन डिगलीपुर खंड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, व्यापक मूल्यांकन, समयबद्ध हस्तक्षेप, पुनर्वास सहायता तथा समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करता है।

फर्जी शेयर बाज़ार निवेश वेबसाइट/ऐप्स ——————पृष्ठ 1 का शेष

संभावित पीड़ितों को ट्रेडिंग के लिए फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के प्ले स्टोर/ऐप स्टोर लिंक अथवा एपीके फाइलें भेजते हैं। धनराशि जमा कराने के लिए भारतीय म्यूल बैंक खातों का उपयोग कराया जाता है। प्रारंभ में विश्वास जीतने के लिए कुछ भुगतान भी किए जाते हैं, लेकिन जब पीड़ित बड़ी राशि जमा कर देता है, तब ठग उससे संपर्क समाप्त कर देते हैं और नागरिक साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।

इस संबंध में अण्डमान तथा निकोबार पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित परामर्श जारी करती है–

1. फेसबुक, इंस्टाग्राम अथवा गूगल पर दिखाई देने वाले ऐसे प्रायोजित विज्ञापनों से अत्यधिक सतर्क रहें, जो आपको निवेश संबंधी व्हाट्सएप या टेलीग्राम समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये फर्जी हो सकते हैं।
2. ऐसे ठगों से सावधान रहें जो स्वयं को विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ), वित्तीय सलाहकार अथवा प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
3. किसी भी अज्ञात व्यक्ति अथवा संस्था के साथ अपनी बैंक संबंधी जानकारी, लॉगिन विवरण अथवा अन्य संवेदनशील वित्तीय जानकारी साझा न करें।
4. निवेश संबंधी सामान्य धोखाधड़ियों के प्रति सदैव जागरूक रहें तथा ऐसे प्रस्तावों पर कभी विश्वास न करें जो वास्तविकता से परे अत्यधिक लाभ का वादा करते हों।

किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी अथवा शिकायत के लिए साइबर अपराध पुलिस थाना, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस हेल्पलाइन नंबर–9531856083 पर संपर्क करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर जाएं।

कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा 'सोमनाथ ——————पृष्ठ 1 का शेष

श्रेणियों में अंतर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। द्वीपसमूह के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा एवं सृजनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चित्रकला प्रतियोगिता में जेएनआरएम के श्री सुवम हल्दर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि डाइट की सुश्री तनीषा मिस्त्री तथा एनकॉल की सुश्री एस. जीवेता ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

वक्तृत्व प्रतियोगिता में टीजीसीई की सुश्री संतोषी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जेएनआरएम की सुश्री आर. राजश्री ने द्वितीय स्थान तथा टीजीसीई की सुश्री अनीशा बेगम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

रंगोली प्रतियोगिता में टीमों के बीच उत्साहपूर्ण प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें टीजीसीई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, डीब्राइट ने द्वितीय स्थान तथा एनकॉल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

पारंपरिक गीत व भजन प्रतियोगिता में टीजीसीई ने एक बार पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि एनकॉल एवं डाइट ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम की अंतिम प्रतियोगिता पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता रही, जिसमें प्रतिभागियों ने ऊर्जावान प्रस्तुतियाँ दीं। जेएनआरएम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, टीजीसीई ने द्वितीय स्थान तथा डीब्राइट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सोमनाथ संवाद कार्यक्रम आध्यात्मिकता, संस्कृति एवं सामुदायिक सहभागिता के अद्वितीय संगम का साक्षी बना। प्रवचनों, प्रतियोगिताओं तथा सामूहिक सहभागिता ने दृढ़ता एवं आध्यात्मिक गौरव के प्रतीक के रूप में सोमनाथ की चिरस्थायी प्रासंगिकता को पुनः स्थापित किया। कार्यक्रम का समापन अत्यंत प्रेरणादायी वातावरण में हुआ तथा इसने युवाओं एवं व्यापक समाज के लिए एकता, प्रेरणा एवं सांस्कृतिक निरंतरता का सशक्त संदेश छोड़ गया।

सिविल इंजीनियरों के लिए रोज़गार का ——————पृष्ठ 1 का शेष

तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिवास (डोमिसाइल) रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।

उपरोक्त के मद्देनज़र, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि रखने वाले, न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले तथा 30 वर्ष से अधिक आयु न रखने वाले पात्र एवं इच्छुक स्थानीय अभ्यर्थियों से इस महत्वपूर्ण रोज़गार अवसर का लाभ उठाने हेतु आवेदन करने की अपील की गई है।

एनएचआईडीसीएल ने माननीय सांसद को यह भी आश्वस्त किया कि पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे तथा पात्रता एवं चयन के अधीन द्वीपसमूह में संचालित एनएचआईडीसीएल परियोजनाओं में 8 से 10 स्थानीय सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। सांसद कार्यालय से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए एनएचआईडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट अथवा एनएचआईडीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रोथरापुर, श्री विजय पुरम से संपर्क कर सकते हैं।

हटबे में सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर लगाया गया

हटबे, 29 जुलाई

पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीएमएसएसएस), हटबे, लिटिल अण्डमान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पहचान एवं मूल्यांकन (चिकित्सीय मूल्यांकन) शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन 24 जुलाई, 2026 को विद्यालय के मिनी हॉल में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ, जो कार्यक्रम के विधिवत आरंभ का प्रतीक था। उद्घाटन सत्र में शिक्षक प्रभारी श्री जे. सेंथिल कुमार तथा प्रधानाध्यापिका (प्राथमिक) श्रीमती एफ. निर्मला जयकोडी उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपयुक्त शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए समय पर पहचान एवं मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला।

चिकित्सीय मूल्यांकन विभिन्न चिकित्सा दल, जिसमें डॉ. सुब्रतो, आरबीएसके (होम्योपैथी), श्री पी. नियामतुल्लाह, कनिष्ठ अन्वेषक, श्रीमती एल्सी रूबेन, एलएचवी, श्रीमती के. बालमाथी, एएनएम शामिल थे। शिविर के समन्वय एवं संचालन में जिन अधिकारियों एवं कर्मियों ने सहयोग प्रदान किया, उनमें श्रीमती सुनीता देवी, विशेष शिक्षिका, सुश्री नव जसलीन, बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन), श्रीमती एम. विजयलक्ष्मी, बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन), श्री मोहन प्रसाद, पीएसआरटी शामिल हैं।

शिविर में कुल 17 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) अपने अभिभावकों/संरक्षकों के साथ उपस्थित हुए। चिकित्सा दल ने प्रत्येक बच्चे का व्यापक मूल्यांकन कर उनकी शैक्षिक, चिकित्सीय एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया तथा उनके भावी सहयोग एवं विकास के लिए उपयुक्त सुझाव प्रदान किए।

अभिभावकों, शिक्षकों तथा चिकित्सा दल की सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग से शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन विशेष शिक्षिका श्रीमती सुनीता देवी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकों तथा शिविर के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

संख्या..... फा.सं. M-170951(166)/2/2026-AT&CP-APWD-APWD_AN (कंप्यूटर संख्याः 142551): फा.सं. TP/03/CE/2026/..... अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियमन, 1994 (1994 की संख्या 7) की धारा–9 की उप–धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उप राज्यपाल, केंद्र सरकार की मंजूरी से स्वराज और शहीद द्वीप–2034 के मास्टर प्लान में निम्नलिखित बदलावों का प्रस्ताव करते हैं। इस मास्टर प्लान को आम जनता और दूसरों के हित में, और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (EoDB) के 'अनुपालन में कमी और अविनियमन – चरण–।।' के तहत भारत सरकार की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 06.02.2025 को संख्या 20 के तहत मंजूर और प्रकाशित किया गया था।

अब, इसलिए, उक्त विनियमन की धारा–9 की उप–धारा (3) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक) 'दि डेली टेलीग्राम्स' और 'द्वीप समाचार' में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से (पैंतालीस) 45 दिनों के भीतर उक्त बदलावों पर जनता से सुझाव आमंत्रित करते हैं।

संशोधन

स्वराज और शहीद द्वीप–2034 के मास्टर प्लान की रिपोर्ट में प्रस्तावित संशोधनों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2005 के नियम–3 (4) के अनुसार फॉर्म–।।। में प्रकाशित किया गया है।

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	खंड संख्या	विवरण
1	2	3	4
1.	51	तालिका संख्या 4.2.4 खंड 4.2.4 की	**मुख्य भूमि-उपयोग क्षेत्रों के लिए नियम 4.2.4 के अंतर्गत आने वाले खंड (Clause) को निम्नलिखित से बदल दिया जाएगा:** **4.2.4 मुख्यभूमि-उपयोग क्षेत्रों के लिए नियम** भूमि-उपयोग क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों में प्रतिबंधित उपयोग और गतिविधियाँ (निषेधात्मक सूची) नीचे प्रत्येक क्षेत्र के लिए बताई गई हैं:

क्रम संख्या	भूमि-उपयोग गतिविधियों की श्रेणियां	हर मुख्य भूमि-उपयोग ज़ोन में प्रतिबंधित उपयोग/गतिविधियाँ	टिप्पणी
1.	आवासीय		
	वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर,ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, लॉजिंग की जगहें। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़ खाने प्रतिबंधित हैं।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	1. पानी की सप्लाई, सीवरेज, तूफानी पानी की निकासी, ठोस कचरा निपटान प्रणाली, बिजली, टेली कम्युनिकेशन आदि जैसी सुविधाओं के लिए ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक बुनिया दीढांचा) वाली सभी ज़मीनें 'पब्लिक और सेमी-पब्लिक ज़ोन' में शामिल हैं। 2. कब्रिस्तान, श्मशानघाट आदि जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर (सामाजिक बुनियादी ढांचा) के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी ज़मीनें। 3. 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर बने पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।	
	परिवहन और संचार	1. फ्यूल फिलिंग स्टेशन, 30 HP से ज़्यादा क्षमता वाले इंस्टॉलेशन वाले सर्विसस्टेशन 2. 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाले मोटर गैराज और वर्कशॉप 3. ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस 4. गुड्स टर्मिनल 5. वेयर हाउस, गोदाम, कार्गो ट्रांज़िट यार्ड 6. लोडिंग, अनलोडिंग प्लेटफ़ॉर्म, वे-ब्रिज 7. हेलीपैड	
	पार्क और खुली जगहें	1. एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स (प्रदर्शनी स्थल) 2. फ़ेस्टिवल ग्राउंड्स (उत्सव स्थल) 3. फ़ेयर ग्राउंड्स (मेला स्थल) 4. सर्कस ग्राउंड्स (सर्कस स्थल) 5. कैंपिंग ग्राउंड्स (कैंपिंग स्थल) 6. मनोरंजन और अम्यूज़मेंट पार्क 7. वॉटर / एडवेंचर स्पोर्ट्स 8. इकट्ठा होने की जगहें (मैदान) 9. वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट (तटीय क्षेत्र का विकास) 10. ज़ूलॉजिकल गार्डन (चिड़ियाघर) 11. बॉटैनिकल गार्डन (वनस्पति उद्यान) 12. पक्षी अभयारण्य	
	औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में, मछली पकड़ने के उद्योग और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
2.	**वाणिज्यिक**		
	पार्क और खुली जगहें	1. वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट 2. प्राणी उद्यान 3. वनस्पति उद्यान 4. पक्षी अभयारण्य	
3.	**सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक**		
	वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, ठहरने की जगहें। 6. गोदाम।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
	औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में से, मछली पकड़ने के उद्योग और मछली पकड़ने से जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
4.	**परिवहन और संचार**		
	वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल,सिनेमाथिएटर, ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थस्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडी क्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, लॉजिंग की जगहें। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़खाने प्रतिबंधित हैं।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	1. पानी की सप्लाई, सीवरेज, तूफानी पानी की निकासी, ठोस कचरा निपटान प्रणाली, बिजली, टेली कम्युनिकेशन आदि जैसी सुविधाओं के लिए ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक बुनियादी ढांचा) वाली सभी ज़मीनें 'पब्लिक और सेमी-पब्लिक ज़ोन' में शामिल हैं। 2. कब्रिस्तान, श्मशानघाट आदि जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर (सामाजिक बुनियादी ढांचा) के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी ज़मीनें। 3. 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर बने पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।	
	पार्क और खुली जगहें	1. स्पोर्ट्स क्लब 2. स्पोर्ट्स स्टेडियम (इनडोर और आउटडोर) 3. मनोरंजन कॉम्प्लेक्स 4. खेल प्रशिक्षण केंद्र, सामाजिक और मनोरंजन क्लब 5. ओपन-एयर थिएटर 6. प्रदर्शनी मैदान 7. उत्सव मैदान 8. मेला मैदान 9. सर्कस मैदान 10. कैंपिंग मैदान, मनोरंजन और अम्यूजमेंट पार्क 11. वॉटर / एडवेंचर स्पोर्ट्स, लोगों के इकट्ठा होने की जगहें (मैदान) 12. वॉटर-फ्रंट डेवलपमेंट 13. चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन 14. पक्षी अभयारण्य	
	औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में से, मछली पकड़ने के उद्योग और मछली पकड़ने से जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
5.	**पार्क और खुली जगहें**		
	वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेलशॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिसॉर्ट, रहने की जगहें (लॉजिंग)। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़ खाने मना हैं।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	**सरकारी कार्यालय:** 1. सरकारी कार्यालय और विभाग, जिनका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो **शैक्षिक संस्थान:** 1. मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 2. तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान **स्वास्थ्य सुविधाएँ:** 1. पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएँ फिजियो थेरेपी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर 2. 300 वर्ग मीटर से बड़े स्पेशलिटी अस्पताल। **धार्मिक और सामुदायिक सेवाएं:** 1. पूजा-स्थल (200 वर्ग मीटर से बड़े) 2. सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संस्थान / म्यूज़ियम (600 वर्गमीटर से बड़े) 3. कम्युनिटी हॉल (600 वर्ग मीटर से बड़े) **अन्य:** 1. पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वाले) 2. पानी की सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोज़ल सिस्टम, बिजली, टेली कम्युनिकेशन वगैरह जैसी सुविधाओं के लिए ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सभी ज़मीनें पब्लिक और सेमी-पब्लिक ज़ोन में शामिल हैं। 3. सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कब्रिस्तान, श्मशानघाट वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी ज़मीनें।	
	परिवहन और संचार	1. फ्यूल फिलिंग स्टेशन, 30 HP से ज़्यादा क्षमता वाले इंस्टॉलेशन के साथ सर्विस स्टेशन 2. 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ़्लोर एरिया वाले मोटर गैराज और वर्कशॉप 3. ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस 4. गुड्स टर्मिनल 5. वेयर हाउस, गोदाम, कार्गो ट्रांज़िट यार्ड 6. लोडिंग-अनलोडिंग प्लेट फ़ॉर्म, वे-ब्रिज 7. हेलीपैड	

शेष पृष्ठ 3 पर

शपथ पत्र

मैं, आर्मी नं. 14829471N, हवलदार/एमटी (ड्राइवर) मिरियाला हरि चरण, वर्तमान में अण्डमान तथा निकोबार कमांड, हैड्डो, श्री विजय पुरम–744102, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में निवासरत हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेकर यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का नाम MARIYALA HARI PALLAVI से बदलकर "MIRIYALA HARI PALLAVI" सभी अभिलेखों एवं दस्तावेज़ों में संशोधित/परिवर्तित कराना चाहता हूँ।

अभिसाक्षी

शपथ पत्र

मैं, के असविनी वीराजिनी राव (K ASWINI VEERAJINI RAO), पुत्री के वेंकटेश्वर राव (K VENKATESWARA RAO), निवासी सिस्टी नगर गाँव, अबरडीन, श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला, सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ :–

1 यह कि मैं इन द्वीप समूहों की स्थायी निवासी हूँ तथा उपरोक्त दिए गए पते पर निवास करती हूँ।
2 यह कि मेरी 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों (Pass Certificate) में मेरे पिता का नाम गलती से के वेंकटेशार राव (K VENKATESHAR RAO) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में के वेंकटेश्वर राव (K VENKATESWARA RAO) दर्ज है।
3. यह कि मेरे पिता का वास्तविक और सही नाम के वेंकटेश्वर राव (K VENKATESWARA RAO) है।
4. यह कि के वेंकटेशार राव (K VENKATESHAR RAO) और के वेंकटेश्वर राव (K VENKATESWARA RAO) एक ही व्यक्ति हैं।
5. यह कि मैं संबंधित अधिकारी से अपनी 10वीं एवं 12वीं के प्रमाण पत्रों में अपने पिता के नाम को सुधारकर के वेंकटेश्वर राव (K VENKATESWARA RAO) कराने के लिए यह शपथ पत्र दे रही हूँ, जिसकी सभी कार्यों के लिए आवश्यकता है, इसलिए यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

उपरोक्त सभी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थानः श्री विजय पुरम
दिनांकः 28.07.2026

शपथकर्ता

सार्वजनिक सूचना

मैं, श्रीमती के. कलैयारसी, पत्नी स्वर्गीय कालिया पेरुमल, निवासी प्रेम नगर, श्री विजय पुरम (पोर्ट ब्लेयर), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्द्वारा आम जनता को सूचित करती हूँ कि लिपिकीय/टंकण त्रुटि के कारण मेरे भारतीय पासपोर्ट में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ गलत अंकित हो गई हैं –

• पति का नामः MURGAIYA KALIYAPERUMAL के स्थान पर सही नाम KALIA PERUMAL है।
• पिता का नामः AYYAKANNU के स्थान पर सही नाम AYYA KANNAN है।

उक्त संशोधन केवल लिपिकीय/टंकण त्रुटि के कारण है तथा इससे किसी भी व्यक्ति की पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस संबंध में विधिवत शपथ–पत्र (Affidavit) निष्पादित किया जा चुका है।

के. कलैयारसी

आज मनाया जा रहा है मानव तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस

नई दिल्ली, 29 जुलाई।

दुनिया भर में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान के रूप में, हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध (यूएनओडीसी) द्वारा मानव तस्करी की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, तस्करी के दौरान बच्चों को हिंसा का सामना करने के आसार वयस्कों की तुलना में दो गुणा हैं। इस दिन, दुनिया भर के लोग एक–दूसरे का समर्थन करने और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं।

बाल तस्करी में बच्चों का विभिन्न तरीकों से शोषण किया जाता है। यह एक गंभीर अपराध है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध (यूएनओडीसी) के मुताबिक, दुनिया के हर देश में हर दिन मानव तस्कर अपने फायदे के लिए लोगों का शोषण करते हैं। खतरे में सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर लोग होते हैं। पकड़े गए तस्करी के शिकार लोगों में से 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं, जबकि लगभग एक तिहाई बच्चे हैं।

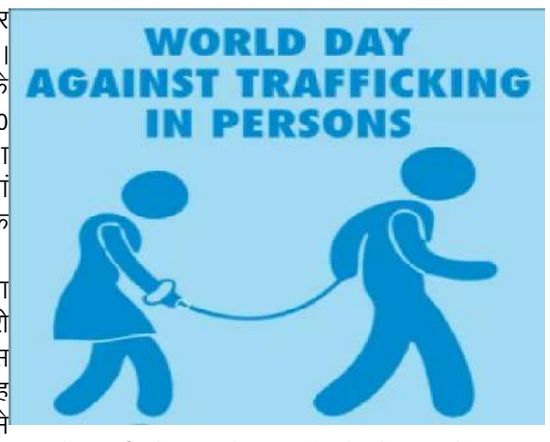

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना की थी। यह कदम मानव तस्करी से निपटने के लिए दुनिया भर में कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में उठाया गया था, जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के व्यापक विकास और सुरक्षा एजेंडे में मानव तस्करी के खिलाफ लड़ना था।

जागरूकता बढ़ाने, दुनिया भर में कार्रवाई करने और मानव तस्करी के पीड़ितों का समर्थन करने के तरीके के रूप में इस दिन को मनाए जाने के 11 साल से अधिक समय हो चूका है। दुनिया भर के लोग पीड़ितों की मदद करने, उनकी समस्या को पहचानने और तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं।

कमजोर बच्चों को कई तरह के शोषण का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें यौन शोषण, जबरन मजदूरी, भीख मांगना और छोटे–मोटे अपराध, सशस्त्र संघर्ष में बच्चे, बाल विवाह और अवैध तरीके से गोद लेना शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में दुनिया भर में लगभग 20,000 बच्चों की पहचान वैश्विक स्तर पर तस्करी के शिकार के रूप में की गई थी।

ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, 2022 के अनुसार, 2019 की तुलना में पीड़ितों की संख्या में 11 प्रतिशत की कमी आई, जो मुख्य रूप से कम और मध्यम आय वाले देशों में है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 59 प्रतिशत की कमी आई है, इसके बाद उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में 40 प्रतिशत की कमी आई है, मध्य अमेरिका और कैरिबियन में 36 प्रतिशत की कमी आई है, दक्षिण अमेरिका में 32 प्रतिशत की कमी आई है और उप–सहारा अफ्रीका में 12 प्रतिशत की कमी आई है।

पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक भागीदारी पहल 'दानवीर' का शुभारंभ किया

नई दिल्ली, 29 जुलाई

पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नागरिक भागीदारी पहल 'दानवीर' का शुभारंभ किया। इस पहल का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने किया।

इस पहल का शुभारंभ करते हुए श्री भारद्वाज ने दानवीर को विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रत्येक ग्राम पंचायत के डिजिटल रूप से सुसज्जित, कनेक्टेड और भविष्य के लिए तैयारी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यह पहल लोगों को अपने पैतृक गांवों के विकास में सार्थक योगदान देकर अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है।

जमीनी स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में कंप्यूटर अब केवल रिकॉर्ड रखने का उपकरण नहीं रह गया है। यह अब त्वरित सेवा वितरण, अधिक पारदर्शिता और बेहतर शासन का साधन है। उन्होंने कहा कि दानवीर को चंदा अभियान के रूप में नहीं, बल्कि एक साझेदारी मंच के रूप में देखा जाना चाहिए जो नागरिकों और संस्थानों को स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदार बनने में सक्षम बनाता है।

संशोधन

पृष्ठ 2 का शेष

				औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति समय-समय पर सभी उद्योगों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड उद्योगों के रूप में वर्गीकृत करती है।
2.	**46-49**	क्लॉज़ नंबर 4.2.3 की टेबल नंबर 4.2.3-(क) सेटेबल नंबर 4.2.3 (च) तक	क्लॉज़ नंबर 4.2.3 के तहत टेबल नंबर 4.2.3 (क) से 4.2.3 (च) में बताई गई अलग-अलग ज़ोन में ज़मीनके इस्तेमाल के ग्रुपिंग को हटा दिया जाएगा।		

उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर।
ह./–
संयुक्त सचिव (अलोनिवि)

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन–2 शुरू, युवाओं को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मौका

नई दिल्ली, 29 जुलाई (हि.स.)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन–2 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य एनीमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), गेमिंग, फिल्म, संगीत, डिजिटल मीडिया और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए अवसर उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय के मुताबिक, पहले सीजन को देश और विदेश से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। एएसआईएफए इंडिया द्वारा आयोजित वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सलेंस में भारत के 58 शहरों और 15 देशों से करीब 1,500 प्रविष्टियां मिली थीं। इनमें से 46 प्रतिभागियों को वेव्स 2025 में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जबकि 20 विजेताओं को सम्मानित किया गया। सीजन–1 के विजेताओं में शामिल सुरेश एरियाट की फिल्म 'देसी ऊन' को बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और पहचान मिली।

मंत्रालय ने बताया कि सीजन–2 में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और इंडस्ट्री एसोसिएशनों को 50 से अधिक विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें एआई, एनीमेशन, वीएफएक्स, एक्स आर, गेमिंग, ई–स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म, प्रसारण, संगीत, नृत्य और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

चयनित संस्थाओं को प्रत्येक प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इच्छुक संस्थाएं 31 जुलाई 2026 तक वेव्स बाजार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

मंत्रालय का कहना है कि इस पहल से नई प्रतिभाओं की पहचान होगी, युवाओं को विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा, उनके कौशल का विकास होगा और वे अपने नए विचारों को सफल प्रोजेक्ट, उत्पाद और बौद्धिक संपदा में बदल सकेंगे। इसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को नई ऊर्जा देना और देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

हॉकी इंडिया ने किया एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, हरमनप्रीत के हाथों में कमान

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने बुधवार को जापान के आइची–नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। स्टार डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में मौजूदा चौंपियन टीम की कप्तानी करेंगे।

भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ियों में शामिल और देश के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है। टीम में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है। भारतीय टीम की नजर 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी।

भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है। टूर्नामेंट का विजेता लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा। टीम की घोषणा करते हुए मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टूर्नामेंट और टीम के लक्ष्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय टीम बहुत अनुभवी है। हम जापान में खेलने की चुनौती के लिए तैयार हैं, जहां विजेता लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करेगा और एक टीम और एक देश के तौर पर यही हमारा मुख्य लक्ष्य है।

कप्तान हरमनप्रीत ने टीम की मजबूती पर भरोसा जताया और अपने साथियों से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुलकर खेलने को कहा। उन्होंने कहा, चाहे युवा खिलाड़ी

हों या सीनियर खिलाड़ी, मुझे सभी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वे मिले मौकों का सही इस्तेमाल करेंगे। मुख्य लक्ष्य दबाव न लेना, खेल का आनंद लेना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है।

छह–छह टीमों के दो पूल में बंटी 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी मैच काकामिगहारा के गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद पूल ए के बाकी मैचों में उसका सामना श्रीलंका (22 सितंबर), कोरिया (24 सितंबर), मेजबान जापान (26 सितंबर) और बांग्लादेश (28 सितंबर) से होगा।

एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड–

गोलकीपर– मोहित एचएस, सूरज करकेरा

डिफेंडर– जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर– राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड– दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक। –आईएएनएस

2030 तक भारत को ग्लोबल लाइव इवेंट हब बनाने की तैयारी, सरकार ने तेज किए सुधार

नई दिल्ली, 29 जुलाई। सरकार ने लाइव इवेंट सेक्टर को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन और सांस्कृतिक संवर्धन का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक लाइव इवेंट्स का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी उद्देश्य से जुलाई 2025 में लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) का गठन किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें केंद्र व राज्य सरकारों, उद्योग संगठनों तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

एलईडीसी की अब तक चार बैठकें 26 अगस्त 2025, 16 अक्टूबर 2025, 4 फरवरी 2026 और 30 अप्रैल 2026 को आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कारोबार सुगम बनाने और लाइव इवेंट उद्योग के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने पर कई फैसले लिए गए।

एलईडीसी ने लाइव इवेंट सेक्टर के विकास के लिए व्यापक कार्यान्वयन ढांचा तैयार कर सभी हितधारकों को उपलब्ध कराया है। इसके तहत विभिन्न सुधारों को लागू करने की रणनीति तय की गई है।

लाइव इवेंट्स की अनुमति के लिए इंडिया सिने हब (आईसीएच) पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। इसके जरिए आवेदन, समन्वय, मंजूरी, भुगतान और निरीक्षण जैसी पूरी प्रक्रिया एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें समयबद्ध निपटान, रियल टाइम ट्रैकिंग, देरी की सूचना, डिजिटल भुगतान और डिजिटल ऑडिट ट्रेल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आईसीएच पोर्टल पर लाइव इवेंट्स की अनुमति के लिए अपने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। एलईडीसी ने "भारत में लाइव इवेंट्स के लिए लाइसेंस और अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने हेतु मॉडल कार्यकारी आदेश, 2026" तैयार कर 13 मार्च 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा। अब तक तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू भी कर दिया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने संरक्षित स्मारकों में लाइव कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। साथ ही ऐसे 224 विरासत

स्थलों की सूची भी साझा की गई है, जहां निर्धारित नियमों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

ग्रीनफील्ड वेन्यू डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए अवधारणा नोट तैयार कर राज्य सरकारों, खेल प्राधिकरणों और उद्योग से जुड़े हितधारकों को भेजा गया है, ताकि आधुनिक लाइव इवेंट स्थलों का विकास किया जा सके।

कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) ने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल (एमईएससी) और इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (ईईएमए) के सहयोग से लाइव इवेंट्स में सर्टिफिकेट और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने तथा मौजूदा कार्यक्रमों में वैकल्पिक मॉड्यूल जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

एलईडीसी ने विदेशी कलाकारों और क्रू के लिए वीजा एवं एफआरआरओ सुविधा, खेल और विरासत स्थलों के उपयोग, संगीत लाइसेंसिंग, रात 10 बजे के बाद कार्यक्रमों की अनुमति, कराधान और वित्तीय पहुंच जैसी चुनौतियों की पहचान कर संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ साझा किया है।

एलईडीसी की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 15 जनवरी 2026 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2026 के तहत सेवाओं के आयात के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के अग्रिम प्रेषण पर बैंक गारंटी देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लोकसभा में एक गैर–तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। (इनपुटः पीआईबी)

एयर इंडिया ने भारत को टूरिस्ट हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ किया समझौता

नई दिल्ली, 29 जुलाई (हि.स.)। भारत को एक पसंदीदा वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने टाटा की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग 'इंक्रेडिबल इंडिया' ब्रांड के तहत पर्यटन स्थलों के प्रचार, पर्यटन से जुड़े लोकसंपर्क और आगंतुकों की सहभागिता को मजबूत करेगा।

पर्यटन मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (पर्यटन) सुमन बिल्ला, संयुक्त सचिव हरिकिशोर एस, एयर इंडिया एयरलाइन के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी निपुण अग्रवाल और एयर इंडिया के ग्रुप हेड (शासन, जोखिम, अनुपालन एवं कंपनी मामले) पी. बालाजी सहित पर्यटन मंत्रालय और एयर इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों और एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का लाभ उठाकर भारत की पर्यटन दृश्यता को बढ़ाना, विदेशी पर्यटन को मजबूत करना और देश को वैश्विक पारगमन और यात्रा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह साझेदारी गैर–व्यावसायिक, गैर–बाध्यकारी और गैर–विशिष्ट है, जिसमें किसी भी पक्ष पर कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।

एयर इंडिया ने जारी एक बयान में बताया कि भारत की प्रमुख ग्लोबल एयरलाइन, एयर इंडिया और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद भारत को

एक प्रमुख ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देना और एक अहम एविएशन और ट्रांज़िट हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

सीएसएल द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी 7वें जलपोत का जलावतरण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित आठ पनडुब्बी रोधी जलपोतों (एएसडब्ल्यू) में से सातवें जलपोत, मछलीपटनम का आज जलावतरण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सातवां पनडुब्बी रोधी जलपोत, मछलीपटनम समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान (एलआईएमओ) के साथ–साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। मंत्रालय ने कहा कि यह जलपोत तटीय रक्षा को और मजबूत करेगा और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पोत का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि इसका नाम आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपटनम से लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पोत मछलीपटनम की भावना और विरासत का प्रतीक है।

जिन इलाकों में लगे होते हैं खूब सारे पेड़, वहां बुजुर्ग आबादी रहती है डिप्रेशन से कोसों दूरः स्टडी में खुलासा

सिडनी, 29 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, डिप्रेशन एक आम मानसिक विकार है। इससे दुनिया के लगभग 28.0 करोड़ लोग जूझ रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो दुनिया के 5.7 फीसदी बुजुर्ग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। डिप्रेशन की वजह अनगिनत हैं, लेकिन हाल की एक स्टडी कैसे इससे बचा जा सकता है इस ओर ध्यान दिलाती है। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक लंबे समय तक चले अध्ययन में पाया गया है कि अधिक वृक्षों वाले इलाकों में रहने से बुजुर्गों में बयती उम्र के दौरान अवसाद (डिप्रेशन) से बचाव में मदद मिल सकती है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की 'न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के सिडनी सेंटर फॉर हेल्दी ब्रेन एजिंग' (सीएचईबीए) की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 'जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स' में प्रकाशित यह शोध स्वस्थ उम्र बयने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अर्बन प्लानिंग की संभावित भूमिका को रेखांकित करता है।

सीएचईबीए ने ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी के सहयोग से यह अध्ययन किया। इसमें 70 से 90 वर्ष की आयु के 1,000 से अधिक बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया और 12 वर्षों तक उनका अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया कि जिन लोगों ने ऐसे इलाकों में जीवन बिताया जहां पेड़ों की छाया और हरियाली अधिक थी, उनमें समय के साथ अवसाद के लक्षण कम देखने को मिले।

शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि आसपास के पर्यावरण से जुड़ी कौन–कौन सी चीजें जैसे पेड़ों की छतरी (ट्री

कैनोपी), पार्क, समुद्र, नदियों और झीलों तक पहुंच, जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता और वायु प्रदूषण अवसाद के लक्षणों में बदलाव से जुड़ी हैं।

अध्ययन में कहा गया कि लंबे समय तक अधिक पेड़ों वाले वातावरण में रहने का संबंध लगातार कम अवसाद स्तर से पाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि दुनिया भर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हर पांच वयस्कों में से एक व्यक्ति अवसाद से प्रभावित होता है।

हालांकि, अध्ययन में यह पाया गया कि अन्य पर्यावरणीय कारकों, जैसे पार्कों की उपलब्धता, समुद्र या जल क्षेत्रों (ब्लू स्पेस) तक पहुंच, सेवाओं की उपलब्धता या लंबे समय तक कम स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क का अवसाद के लक्षणों पर कोई स्पष्ट और लगातार प्रभाव नहीं दिखा।

शोधकर्ताओं के अनुसार, शहरों में अधिक पेड़ लगाने और हरित क्षेत्रों को बयावा देने जैसी योजनाएं बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।–आईएएनएस

इतिहास के पन्नों में 30 जुलाईः देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म

नई दिल्ली, 29 जुलाई (हि.स.)। भारत के इतिहास में 30 जुलाई का दिन महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन 1886 में तमिलनाडु के चेन्नई में देश की पहली महिला विधायक, प्रख्यात चिकित्सक और समाज सुधारक डॉ मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था।

डॉ मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने उस दौर में कई सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी, जब महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बेहद सीमित थी। वह लड़कों के कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनीं और आगे चलकर भारत की पहली महिला विधायक के रूप में इतिहास रचा। इसके अलावा, उन्हें किसी विधायी परिषद की पहली महिला उपसभापति बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ।

उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए जीवनभर कार्य किया। देवदासी प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह के विरोध और महिला कल्याण से जुड़े कई सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भी उल्लेखनीय योगदान दिया और चेन्नई में अड्यार कैंसर संस्थान की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके सामाजिक और मानवीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1836 – अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ।

1909–राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया।

1930 – एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ।

1942 – जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिंस्क में 25000 यहूदियों की हत्या की।

1957 – एक्सपोर्ट रिस्क इंस्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना।

1966–इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्वकप पहली बार जीता।

1980 – वानूआतो देश को स्वतंत्रता मिली।

2000 – संयुक्त राष्ट्र ने इस्रायल द्वारा ख़ाली किये क्षेत्रों में शांति सेना की तैनाती प्रारम्भ की।

2001 – श्रीलंका सरकार ने मुक्ति चीतों पर से प्रतिबंध हटाने से इन्कार किया।

2002 – कनाडा ने अलकायदा सहित सात संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया।

2004 – भारत और पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना पर बातचीत बिना किसी सहमति के समाप्त हो गयी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री (मनोनीत) शौकत अजीत आत्मघाती हमले में बाल–बाल बचे।

2007 – चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाऊ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की।